रजि॰ सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 468] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 26, 2004/कार्तिक 4, 1926

No. 468] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 2004/KARTIKA 4, 1926

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2004

सा.का.नि. 700(अ).— राजमार्ग प्रशासन नियम, 2003 नामक कतिपय नियमों का प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 50 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (छ), खंड (ज), खंड (झ), खंड (ड), खंड (ढ) खंड (ण), खंड (त), खंड (थ), खंड (द), खंड (ध), खंड (न), खंड (प), खंड (फ) और खंड (ब) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 407 तारीख 26 अगस्त, 2003 के साथ भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 26 अगस्त, 2003 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 26 अगस्त, 2003 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और कोई आक्षेप या सुझाव ऐसे प्रारूप की बाबत उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर किसी व्यक्ति से प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 50 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (छ), खंड (ज), खंड (झ) और खंड (ड) से खंड (ब) के साथ पठित उपधारा (1) और साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजमार्ग प्रशासन नियम, 2004 है ;

(2) ये उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसको अधिनियम प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएं** - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2003 (2003 का 13) अभिप्रेत है ;

(ख) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ;

(ग) राजमार्ग प्रशासन के संबंध में, "अधिकारी", से नियम 3 के, यथास्थिति, खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट अधिकारी अभिप्रेत हैं ;

(घ) राजमार्ग प्रशासन के संबंध में, "ज्येष्ठ अधिकारी" से नियम 3 के खंड (ii) के अधीन ज्येष्ठ अधिकारी के रूप में पदाभिहित अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ङ) "अनुज्ञापत्र" से धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन जारी किया गया ऐसा अनुज्ञापत्र अभिप्रेत है, जो उस उपधारा के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने के लिए है ;

(च) "पट्टे" से धारा 25 के अधीन मंजूर किया गया पट्टा अभिप्रेत है ;

(छ) नियम 9 और नियम 10 के प्रयोजनों के लिए, "अनुज्ञप्ति" से धारा 25 के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ;

(ज) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(झ) इन नियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है ।

अध्याय 2

राजमार्ग प्रशासन द्वारा शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन तथा अभिलेखों का रखा जाना

3. **राजमार्ग प्रशासनों द्वारा शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग** - अधिनियम के उपबंधों और केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 3 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन अधिरोपित शर्तों या निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, –

(i) जहां किसी राजमार्ग प्रशासन में केवल एक अधिकारी है, तब ऐसा अधिकारी, अधिनियम और इन नियमों के अधीन राजमार्ग प्रशासन की शक्तियों का प्रयोग करेगा और कृत्यों का निर्वहन स्वयं द्वारा या उसके अधीक्षण के अधीन किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा उस सीमा तक किया जाएगा, जो ऐसे अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को समय-समय पर प्राधिकृत की जाए ;

(ii) जहां किसी राजमार्ग प्रशासन में एक से अधिक अधिकारी हैं, तब केंद्रीय सरकार उनमें से किसी एक को ज्येष्ठ अधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी, जो ऐसे प्रत्येक अधिकारी को (स्वयं को सम्मिलित करते हुए) ऐसे राजमार्गों के अधिकारिता क्षेत्र के भीतर राजमार्ग की लंबाई समनुदेशित करेगा और वह अधिकारी, जिसे इस प्रकार राजमार्गों की ऐसी लंबाई समनुदेशित की जाती है, राजमार्ग की उस लंबाई के संबंध में अधिनियम और इन नियमों के अधीन उस रीति में, जो एक अधिकारी वाले राजमार्ग प्रशासन द्वारा शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन के लिए खंड (i) में निर्दिष्ट है, राजमार्ग प्रशासन की शक्तियों का प्रयोग करेगा और कृत्यों का निर्वहन करेगा :

परंतु यह कि इस प्रकार पदाभिहित ज्येष्ठ अधिकारी के पास राजमार्ग प्रशासन के अन्य अधिकारियों द्वारा शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन पर साधारण अधीक्षण होगा ।

4. भूमि अभिलेखों का रखा जाना – (1) प्रत्येक राजमार्ग प्रशासन के मुख्यालय में अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में राजमार्ग भूमि रजिस्टर नामक एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें ऐसी भूमियों की विशिष्टियां रखी जाएंगी, जो राजमार्ग प्रशासन के अधिकारिता क्षेत्र के भीतर अवस्थित हैं और धारा 23 के अधीन केन्द्रीय सरकार जिनकी स्वामी है ।

(2) राजमार्ग भूमि रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ को क्रमवार संख्यांकित किया जाएगा और यथास्थिति, अधिकारी या ज्येष्ठ अधिकारी रजिस्टर के प्रथम पृष्ठ पर रजिस्टर के पृष्ठों की कुल संख्या को अधिप्रमाणित करेगा और वह समय-समय पर रजिस्टर का निरीक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसमें की गई प्रविष्टियां सही हैं ।

5. अभिलेख शुद्धि के लिए दावा -- (1) धारा 23 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय सरकार के स्वामित्व के विरूद्ध दावा करने वाला और राजमार्ग भूमि रजिस्टर में त्रुटियां ठीक कराने की वांछा करने वाला कोई व्यक्ति, यथास्थिति, संबद्ध अधिकारी या ज्येष्ठ अधिकारी को लिखित शिकायत करेगा और उसके समक्ष अपने दावे को साबित करेगा और यथास्थिति, ऐसा अधिकारी या ज्येष्ठ अधिकारी, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् रजिस्टर में संबंधित प्रविष्टि में शुद्धि करने का आदेश दे सकेगा या दावे को नामंजूर कर सकेगा ।

(2) जहां, यथास्थिति, अधिकारी या ज्येष्ठ अधिकारी राजमार्ग भूमि रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को ठीक करने का आदेश करता है, वहां राजमार्ग प्रशासन का संबंधित कर्मचारी बिना किसी विलंब के उस रजिस्टर में शुद्धि करेगा और उसे ऐसे कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित और, यथास्थिति, अधिकारी या ज्येष्ठ अधिकारी द्वारा लाल स्याही में प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा ।

अध्याय 3
शर्त, किराया, अन्य प्रभार, आदि

6. वे शर्तें, जिनके अधीन अनुज्ञा-पत्र जारी किया जा सकेगा – अनुज्ञा-पत्र में निम्नलिखित एक या अधिक ऐसी शर्तें अंतर्विष्ट होंगी, जिन्हें धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन यथास्थिति राजमार्ग प्रशासन या प्राधिकृत कोई अधिकारी उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा मंजूर करते हुए, यातायात की सुरक्षा और सुविधा तथा अनुज्ञा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित समझें, अर्थात् :-

(i) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे अनुज्ञा मंजूर की गई है, अनुज्ञा के अनुसरण में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या कराएगा, जो राजमार्ग या राजमार्ग भूमि को क्षति पहुंचाएं या राजमार्ग पर यातायात में बाधा उत्पन्न करे ,

(ii) ऐसा कोई व्यक्ति अनुज्ञा के अनुसरण में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या कराएगा, जो राजमार्ग भूमि को ऐसी कोई क्षति पहुचाए, जिसे मंजूर की गई अनुज्ञा की समाप्ति के तुरंत पश्चात् ठीक न किया जा सके ;

(iii) ऐसा कोई व्यक्ति अनुज्ञा के अनुसरण में कब्जे वाले राजमार्ग पर ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या कराएगा, जिससे राजमार्ग पर वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण हो :

परंतु युक्तियुक्त प्रदूषण की ऐसी मात्रा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगी, इस खंड के अधीन अनुज्ञेय होगी ।

(iv) ऐसा कोई व्यक्ति ऐसी प्रकृति का कोई निर्माण नहीं करेगा, या कराएगा, जिसे मंजूर की गई अनुज्ञा की समाप्ति पर आसानी से हटाया न जा सके ;

(v) इस प्रकार अधिरोपित शर्तों का कोई उल्लंघन अनुज्ञापत्र को रद्द करने का आधार होगा ।

7. अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए किराया और अन्य प्रभार -- (1) किसी व्यक्ति को, उसके द्वारा नीचे विनिर्दिष्ट दर पर राजमार्ग प्रशासन को किराये का संदाय करने पर अनुज्ञा-पत्र जारी किया जाएगा :-

प्रतिमास किराये की दर रुपए में --- अनुज्ञा-पत्र के अधीन अनुज्ञा के अनुसरण में राजमार्ग पर कब्जे में ली गई भूमि की वर्तमान लागत / 5 x 12

(2) जहां अनुज्ञा-पत्र जारी करके मंजूर की गई अनुज्ञा को नवीकृत किया जाता है, वहां अनुज्ञा का नवीकरण, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट दर पर किराये के और जहां अनुज्ञा-पत्र के अधीन अधिभोग में ली गई भूमि पच्चीस वर्ग मीटर तक की है, वहां एक हजार रुपए के अतिरिक्त प्रभार के संदाय पर किया जाएगा तथा जहां यह भूमि पच्चीस वर्ग मीटर से अधिक है, वहां अतिरिक्त प्रभार में प्रत्येक पच्चीस वर्ग मीटर या उसके भाग के लिए एक हजार रूपए की दर से वृद्धि की जाएगी ।

8. अनुज्ञा-पत्र का प्ररूप -- प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में जारी किया जाएगा ।

9. वे शर्तें, जिनके अधीन पट्टा या अनुज्ञप्ति मंजूर की जा सकेगी -- किसी व्यक्ति को अस्थाई उपयोग के लिए मंजूर दिए गए पट्टे या अनुज्ञप्ति में निम्नलिखित शर्तें अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :-

(i) ऐसी शर्तें, जिन पर यातायात की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजमार्ग प्रशासन या ऐसे प्रशासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी और ऐसे व्यक्ति के बीच सहमति होती है ; और

(ii) निम्नलिखित में से एक या अधिक शर्तें, जिन्हें राजमार्ग प्रशासन या ऐसे प्रशासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी यातायात की सुरक्षा और सुविधा तथा अनुज्ञा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अधिरोपित करना उचित समझे --

(क) ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या कराएगा, जो राजमार्ग या राजमार्ग भूमि को क्षति पहुंचाए या राजमार्ग पर यातायात में बाधा उत्पन्न करे ;

(ख) ऐसा व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या कराएगा, जो राजमार्ग भूमि को ऐसी कोई क्षति पहुचाए, जिसे, यथास्थिति, पट्टे या अनुज्ञप्ति की समाप्ति के तुरंत पश्चात् ठीक न किया जा सके ;

(ग) ऐसा व्यक्ति कब्जे वाले राजमार्ग पर ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या कराएगा, जिससे राजमार्ग पर वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण हो ।

(घ) ऐसा व्यक्ति ऐसी प्रकृति का कोई निर्माण नहीं करेगा, या कराएगा, जिसे, यथास्थिति, पट्टे या अनुज्ञप्ति की समाप्ति पर आसानी से हटाया न जा सके ;

(ङ) अधिरोपित शर्तों के किसी उल्लंघन पर, राजमार्ग प्रशासन या ऐसे प्रशासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, पट्टे या अनुज्ञप्ति को समाप्त कर सकेगा ;

(च) यथास्थिति, ऐसा पट्टा या अनुज्ञप्ति, राजमार्ग प्रशासन द्वारा पट्टा या अनुज्ञप्ति दिए जाने के समय अवधारित ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगी, जो पट्टे की समाप्ति पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

10. पट्टा या अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए किराया या अन्य प्रभार --

(1) राजमार्ग प्रशासन द्वारा, राजमार्ग भूमि का पट्टा या अनुज्ञप्ति, उस व्यक्ति द्वारा, जिसे, यथास्थिति, पट्टा या अनुज्ञप्ति दी गई है, नीचे विनिर्दिष्ट दर पर किराये का संदाय किए जाने पर मंजूर की जाएगी :-

प्रतिमास किराये की दर रुपए में = ऐसी राजमार्ग भूमि की लागत / 5 x 12

(2) जहां राजमार्ग भूमि के पट्टे का नवीकरण किया जाता है, वहां पट्टे का प्रत्येक नवीकरण, उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट किराये के और जहां भूमि पच्चीस वर्ग मीटर तक है, वहां पांच हजार रुपए के अतिरिक्त प्रभार के संदाय पर किया जाएगा तथा जहां पच्चीस वर्ग मीटर से अधिक है, वहां ऐसे अतिरिक्त प्रभार में प्रत्येक पच्चीस वर्ग मीटर या उसके भाग के लिए पांच हजार रुपए की दर से और वृद्धि की जाएगी ।

11. सूचना का प्ररुप — धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन जारी की जाने वाली प्रत्येक सूचना का प्ररुप वह होगा जो अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट है ।

12. संनिर्माण, आदि करने के लिए साध्य लागत - धारा 26 की उपधारा (8) के अधीन किसी संनिर्माण में परिवर्तन सहित कोई संनिर्माण करने के लिए साध्य लागत वह होगी, जो समय-समय पर राजमार्ग प्रशासन द्वारा, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे संनिर्माण या संनिर्माण में परिवर्तन के लिए उपयोग किए जाने वाली सामग्री की लागत, संबंधित क्षेत्र में श्रम प्रभारों और अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए, अवधारित की जाए ।

13. बिल का प्ररुप - (1) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन दिया जाने वाला प्रत्येक बिल उस प्ररुप में होगा, जो अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट है ।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट बिल के साथ राजमार्ग प्रशासन या उस प्रशासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र और साथ ही ऐसे किसी अप्राधिकृत अधिभोग, संनिर्माण का, जिससे बिल संबंधित है और जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, किसी अप्राधिकृत संनिर्माण की बाबत संनिर्माण में परिवर्तन या किसी क्षति की मरम्मत भी है, संक्षिप्त विवरण भी लगा होगा ।

14. राजमार्ग तक पहुंच के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के लिए आवेदन - धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन किसी राजमार्ग तक पहुंच के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन उस प्ररुप में होगा, जो अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट है और उसके साथ संबंधित राजमार्ग प्रशासन के पक्ष में पांच हजार रुपए की फीस भी होगी ।

15. राजमार्ग तक पहुंच के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के निबंधन और शर्तें — राजमार्ग प्रशासन, धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा देते समय निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों में से एक या अधिक को अधिरोपित कर सकेगा, अर्थात् :-

(i) विनिर्दिष्ट अनुज्ञा, धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति में राजमार्ग प्रशासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सीमित समयावधि और प्रयोजन के लिए होगी ;

(ii) विनिर्दिष्ट अनुज्ञा, किसी राजमार्ग की उस लंबाई तक पहुंच के लिए सीमित होगी, जो उक्त अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट की जाए ;

(iii) ऐसा व्यक्ति, जिसे विनिर्दिष्ट अनुज्ञा दी गई है, विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के अनुसरण में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या कराएगा, जिससे राजमार्ग को क्षति पहुंचे ;

(iv) ऐसा व्यक्ति, विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के अनुसरण में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या कराएगा, जिससे राजमार्ग पर यातायात की सुरक्षा और सुविधा में बाधा आए ;

(v) ऐसा व्यक्ति, अनुज्ञा का उपयोग करते समय, राजमार्ग पर यातायात की सुरक्षा और सुविधा, राजमार्ग पर स्वच्छता और राजमार्ग पर न्यूसेंस और प्रदूषण को रोकने से संबंधित ऐसे मार्गदर्शन सिद्धांतों का पालन करेगा, जो राजमार्ग प्रशासन द्वारा उक्त अनुज्ञप्ति में निर्दिष्ट किए जाएं ।

16. अनुज्ञप्ति का प्ररुप, विधि मान्यता की अवधि और अनुज्ञप्ति के नवीकरण की रीति – (1) धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति उस प्ररुप में होगी, जो अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट है ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति के अधीन विनिर्दिष्ट अनुज्ञा, अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य होगी, जो एक समय में छह मास से अधिक नहीं होगी और वह व्यक्ति, जिसके पक्ष में ऐसी अनुज्ञा दी गई है, यदि वह समय का विस्तार अभिप्राप्त करना चाहता है तो राजमार्ग प्रशासन को, इस प्रकार दी गई अनुज्ञा की समाप्ति से पूर्व एक मास के भीतर आवेदन कर सकेगा और राजमार्ग प्रशासन धारा 28 की उपधारा (2) और उस धारा की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना के अधीन जारी किए गए मार्गदर्शन सिद्धांतों और अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञा का नवीकरण कर सकेगा या उसे नामंजूर कर सकेगा ।

(3) जहां उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञप्ति के अंतर्गत अनुज्ञा का नवीकरण किया जाता है, वहां राजमार्ग प्रशासन अनुज्ञप्ति के पीछे ऐसे नवीकरण की प्रविष्टि करेगा और उस अवधि को विनिर्दिष्ट करेगा, जिसके लिए नवीकरण किया गया है, जो एक समय में छह मास से अधिक नहीं होगी और उसे हस्ताक्षरित और मुद्रा द्वारा पृष्ठांकित करेगा और जहां नवीकरण नामंजूर किया जाता है, वहां राजमार्ग प्रशासन ऐसी नामंजूरी के लिए कारण लेखबद्ध करेगा और उसकी संसूचना संबद्ध व्यक्ति को देगा ।

अध्याय 4

लदान भार, सुरक्षा नियंत्रण और यान, आदि के हस्तांतरण की रीति

17. लदान भार की सीमा - राजमार्ग प्रशासन, राजमार्ग के सतह की दशाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, यथास्थिति, राजमार्ग या उसके किसी भाग या राजमार्ग पर या उसके आर-पार बने किसी पुल, पुलिया या सेतुक के संबंध में समय-समय पर लदान भार की सीमा अवधारित कर सकेगा, जो धारा 32 के प्रयोजनों के लिए लदान भार सीमा होगी और राजमार्ग प्रशासन संबद्ध व्यक्तियों की जानकारी के लिए किसी स्थानीय समाचार-पत्र में उस लदान भार सीमा को प्रकाशित करेगा ।

18. धारा 32 के अधीन यानों के आने-जाने पर प्रतिबंध या निर्बंधन – जहां धारा 32 के अधीन राजमार्ग प्रशासन का यह समाधान हो जाता है कि किसी राजमार्ग या उसके किसी भाग या राजमार्ग पर या उसके आर-पार बने किसी पुल, पुलिया या सेतुक की सतह इस प्रकार डिजाइन नहीं की गई है कि उस पर नियम 17 के अधीन अवधारित लदान भार सीमा से अधिक लदान भार वाले यान चल सकें, तो यह स्थानीय समाचार पत्रों में इस तथ्य की लोक सूचना द्वारा और संबंधित यातायात की जानकारी के लिए, यथास्थिति, ऐसे राजमार्ग या उसके किसी भाग या ऐसे राजमार्ग पर या उसके आर-पार बने ऐसे पुल, पुलिया या सेतुक के निकट उपयुक्त दूरियों पर इस तथ्य को अंतर्विष्ट करने वाले सूचना पट्ट लगाने के पश्चात्, यथास्थिति, ऐसे राजमार्ग या उसके किसी भाग या राजमार्ग पर अथवा उसके आर-पार बने किसी पुल, पुलिया या सेतुक पर ऐसे यानों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा सकेगा या निर्बंधित कर सकेगा और किसी संदेह की दशा में राजमार्ग प्रशासन यानो की ऐसी आवाजाही को निदेशित करने के लिए इस नियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए किसी यान पर लदान भार की अनुज्ञेय सीमा से अधिक के लदान भार सीमा को हटा सकेगा ।

19. **धारा 35 के अधीन यातायात संकेतों का रखा जाना या लगाया जाना** - राजमार्ग प्रशासन, धारा 35 के प्रयोजनों के लिए, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट एक या अधिक ऐसे यातायात संकेतों को, जो प्रयोजन को पूरा करने के लिए उचित और पर्याप्त हों, यातायात की सुविधा के लिए उपयुक्त स्थानों पर रखवाएगा या लगवाएगा :

परंतु यदि राजमार्ग प्रशासन यह समझता है क धारा 35 के अधीन किसी विशिष्ट प्रयोजन को किसी अधिक उपयोगी रीति में पूरा करने के लिए किसी ऐसे संकेत में कोई उपांतरण किया जाना अपेक्षित है तो वह, उस प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के पश्चात् इस प्रकार उपांतरित संकेतों को रख सकेगा या लगा सकेगा ।

20. **धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन सुरक्षा नियंत्रण** - ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके भारसाधन या कब्जे में कोई यान है, उस यान् को -

(i) किसी राजमार्ग में तब नहीं ले जाएगा, जब तक कि,-

(क) उस यान को ऐसी गति सीमा के भीतर नहीं चलाया जाता है, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की (1988 का 59) धारा 112 के अधीन किसी सार्वजनिक स्थान में ऐसे यान को चलाने के लिए लागू है ;

(ख) ऐसा यान, किसी सार्वजनिक स्थान में उसके चलाए जाने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 113 की उपधारा (2) के अर्थान्तर्गत भारवहन सीमाओं के भीतर नहीं हो ; और

(ग) ऐसा यान, ब्रेक और स्टीयरिंग गियर, संकेतन साधित्र, लैम्प और परावर्तकों, गति नियंत्रकों, धुंए, दिखाई देने वाली भाप, चिंगारी, राख, बाल कण या तेल के उत्सर्जन, यानों से निकलने वाली या होने वाली आवाज को घटाने, आटो - डिपर, मानव जीवन के लिए खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति के माल के परिवहन संबंधी उपबंध और यान में अन्तःनिर्मित सुरक्षा युक्तियों के रूप में प्रयुक्त संघटकों के मानकों के संबंध में मोटर यान अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा 110 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन नहीं करता हो ; अथवा

(ii) किसी राजमार्ग पर तब तक खड़ा नहीं करेगा, जब तक कि -

(क) वह ऐसी परिस्थितियों में न खड़ा किया गया हो, जिससे राजमार्ग के अन्य उपयोकगर्ताओं को या उस पर यात्रियों को खतरा, बाधा या असम्यक असुविधा न होती हो या होने की संभावना न हो ;

(ख) उसके चालक या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की, जिसको उसकी देख रेख का कार्य सौंपा गया हो, गहन देख रेख में न हो और ऐसे चालक या व्यक्ति द्वारा दस या अधिक घंटों के लिए आरक्षित न छोड़ा गया हो ;

(ग) राजमार्ग प्रशासन द्वारा ऐसे खड़े किए जाने के लिए विधिक रूप से अनुज्ञात या अनुज्ञात स्थान पर खड़ा न किया गया हो ;

(घ) क्षतिग्रस्त, दग्ध या यातायात को संकट पैदा करने वाली विखण्डित स्थिति में न हो ;

(ङ) राजमार्ग पर सहज और सुगम यातायात संचलन में कोई बाधा पैदा न करता हो ।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके भारसाधान या कब्जे में कोई पशु है, उस पशु को -

(i) किसी राजमार्ग में तब तक नहीं ले जाएगा, जब तक कि -

(क) उस पशु की देखरेख किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार तत्परतापूर्वक नहीं की जाती है, जिससे कि राजमार्ग पर यातायात को किसी खतरे या भय से बचाया न जा सके ;

(ख) उस पशु की उस व्यक्ति द्वारा इस प्रकार देखरेख न की जाती हो, जिससे कि राजमार्ग पर यातायात को कोई कठिनाई न पैदा हो ;

(ग) ऐसे पशु की उस व्यक्ति द्वारा इस प्रकार देखरेख न की जाती है, जिससे कि उस पशु को राजमार्ग को प्रदूषित या नुकसान करने से रोका जा सके ;

(ii) राजमार्ग में उस पशु को -

(क) राजमार्ग पर उस स्थान से भिन्न ऐसे किसी स्थान पर खड़ा नहीं करेगा, जो राजमार्ग प्रशासन द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट रूप से आबंटित न किया गया है ;

(ख) किसी व्यक्ति की बिना देखरेख की दशा में खड़ा नहीं करेगा ;

(ग) यातायात को कोई नुकसान या भय पैदा करने के लिए पशु को अनुमत करने वाली किसी दशा में खड़ा नहीं करेगा ; और

(घ) ऐसी दशा में खड़ा नहीं करेगा जिससे पशु द्वारा राजमार्ग को प्रदूषित किया जाए या उसे हानि पहुंचे ।

21. **यान या पशु को उसके स्वामी, आदि को सौंपे जाने की रीति** - (1) जहां राजमार्ग प्रशासन द्वारा धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन किसी यान या पशु को कब्जे में लिया गया है, वहां यथास्थित, उस पशु या यान का स्वामी होने का दावा करने वाला व्यक्ति, राजमार्ग प्रशासन को यह कथन करते हुए आवेदन कर सकेगा कि वह, यथास्थिति, उस यान या पशु का स्वामी है और राजमार्ग प्रशासन द्वारा, धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन यान या पशु को हटाने में उपगत हुए व्यय का संदाय करने पर, राजमार्ग प्रशासन द्वारा ऐसा यान या पशु उसे सौंपा जा सकेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन करने वाला व्यक्ति, राजमार्ग प्रशासन के समक्ष यह साबित करने के लिए कि वह, यथास्थिति, उस यान या पशु का स्वामी है, उसके समाधान के लिए साक्ष्य भी पेश करेगा ।

(3) जहां राजमार्ग प्रशासन का उपधारा (2) के अधीन साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, उस यान या पशु का स्वामी है, वहां वह धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन उस यान या पशु को हटाने में उपगत हुए व्यय का निर्धारण करेगा और इस प्रकार निर्धारित किए गए व्यय का उस व्यक्ति द्वारा राजमार्ग प्रशासन को संदाय किए जाने के पश्चात्, राजमार्ग प्रशासन, यथास्थिति, उस यान या पशु को, उस व्यक्ति को सौंप देगा ।

(4) किसी यान के सात दिन तक अदावाकृत बने रहने की दशा में ऐसे यान की बाबत संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट की जाएगी ।

(5) किसी पशु के अदावाकृत रहने की दशा में, राजमार्ग प्रशासन उस पशु की, उसके वापस सौंपे जाने तक, सुरक्षित अभिरक्षा और देखभाल की उचित व्यवस्था करेगा ।

22. **धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन का प्ररूप** - धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन, अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में किया जाएगा ।

23. **धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन फीस और अन्य प्रभार** - (1) राजमार्ग प्रशासन, उन व्यक्तियों पर, जिन्हें धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन अनुमति दी गई है, नीचे विनिर्दिष्ट दर पर फीस अधिरोपित करेगा, अर्थात् :-

प्रतिमास फीस रुपयों में = अनुमति के अधीन प्रस्तावित कार्य के लिए अधिभोग या उपयोग की गई या राजमार्ग का भाग बनने वाली भूमि की वर्तमान लागत

5 X 12

(2) जहां राजमार्ग का भाग बनने वाली ऐसी कोई भूमि, जिसकी बाबत उपनियम (1) के अधीन फीस अधिरोपित की गई है, किसी नगरपालिका क्षेत्र में स्थित है, वहां उपनियम (1) के अधीन अधिरोपित फीस के बीस प्रतिशत की दर से अन्य प्रभार भी अधिरोपित किए जाएंगे और जहां ऐसी भूमि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है, वहां इस प्रकार अधिरोपित किए जाने वाले अन्य प्रभार दस प्रतिशत होंगे ।

स्पष्टीकरण - इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "नगरपालिका क्षेत्र" का वही अर्थ है, जो संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (क) के अधीन उसका है और "ग्रामीण क्षेत्र" से नगरपालिका क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र अभिप्रेत है ।

24. **धारा 43 के अधीन संक्षिप्त विचारण** - (1) यदि राजमार्ग प्रशासन या उस प्रशासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोई जांच पड़ताल करना चाहता है तो वह निम्नलिखित रीति में संक्षिप्त जांच कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) यथास्थिति, राजमार्ग प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, राजमार्ग भूमि के अप्राधिकृत अधिभोग वाले स्थान का दौरा कर सकेगा, ऐसी भूमि का निरीक्षण कर सकेगा और अधिनियम के अधीन समुचित कार्रवाई के लिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपने संप्रेक्षणों को लेखबद्ध कर सकेगा ;

(ख) यथास्थिति, राजमार्ग प्रशासन या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी आवश्यक समझे तो धारा 42 में निर्दिष्ट संबंधित ग्राम प्रधान, ग्राम लेखाकार, ग्राम चौकीदार या अन्य ग्राम पदधारी या ऐसे अन्य व्यक्ति का कथन अभिलिखित कर सकेगा । वह इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि ऐसा कोई अपराध जिसके अन्तर्गत राजमार्ग की भूमि का अप्राधिकृत अधिभोग, नुकसान या विनाश करना भी है, किया गया है ;

(ग) जहां राजमार्ग प्रशासन या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति खंड (ख) के अधीन कथन अभिलिखित करता है वहां वह ऐसा कथन दो प्रतियों में अभिलिखित करेगा और उस पर उस ग्राम के, जहां इस प्रकार कथन अभिलिखित किया गया है, यथास्थिति, ग्राम प्रधान, ग्राम लेखाकार, ग्राम चौकीदार, अन्य ग्राम पदधारी या किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर लेगा ।

(2) जहां उपनियम (1) द्वारा की गई जांच के आधार पर, राजमार्ग प्रशासन या उस प्रशासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति का यह समाधान हो जाता है कि उसके द्वारा अधिनियम के अधीन कोई कार्रवाई की जानी अपेक्षित है तो, यथास्थिति, राजमार्ग प्रशासन या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति विलंब किए बिना ऐसी कार्रवाई करेगा और जहां राजमार्ग प्रशासन या उस अधिकारी का ऐसी जांच के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि राजमार्ग भूमि के अप्राधिकृत अधिभोग, हानि या विनाश करने वाला कोई अपराध किया गया है, वहां विलंब किए बिना उसकी

सूचना, खंड (क) के अधीन लेखबद्ध किए गए सुसंगत संप्रेक्षणों या ऐसे अपराध के किए जाने के संबंध में उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन अभिलिखित किए गए कथन के साथ आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस थाने में देगा ।

(3) प्रत्येक राजमार्ग प्रशासन, प्रत्येक तीन मास में एक बार केन्द्रीय सरकार को एक संक्षिप्त रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें उस अवधि के भीतर उस राजमार्ग प्रशासन की अधिकारिता के भीतर उपनियम (1) के अधीन की गइ जांचों और ऐसी जांचों के आधार पर की गई कार्रवाइयों का संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपनियम (3) के अधीन संक्षिप्त रिपोर्टों की प्राप्ति पर धारा 3 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन ऐसा कोई साधारण या विशेष आदेश जारी कर सकेगी, जिसे यह सरकार, राजमार्ग प्रशासन द्वारा अधिनियम के अधीन शक्तियों के उचित प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन के लिए ठीक समझे ।

25. **सूचना या बिल की तामील करने या दिए जाने की रीति** - अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 47 के अधीन जारी या तैयार की गई सूचना या बिल की निम्नानुसार तामील की जा सकेगी या उसे दिया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) ऐसी सूचना या बिल की संबंधित व्यक्ति पर तामील की जा सकेगी या उसकी एक प्रति उसे संदेशवाहक द्वारा सौंप कर और उसकी दूसरी प्रति पर उसके हस्ताक्षर लेकर उसे दिया जा सकेगा ।

(ख) यदि सूचना या बिल का तामील किया जाना या दिया जाना खंड (क) के अधीन सहज रूप में संभव नही है तो ऐसी सूचना या बिल को संबंधित व्यक्ति को, उसके ज्ञात निवास स्थान के पते पर, रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जाएगा और उस व्यक्ति को ऐसे रजिस्ट्रीकृत डाक का भेजा जाना, यथास्थिति, ऐसी सूचना की उस पर तामील करना या बिल का दिया जाना होगा और उसके द्वारा उस रजिस्ट्रीकृत डाक को लेने से इंकार करने की दशा में, रजिस्ट्रकृत डाक पर डाकघर कर्मचारी द्वारा ऐसी नामंजूरी की टिप्पणी को, यथास्थिति, ऐसी सूचना या बिल को उस पर तामील किया गया या उसे दिया गया समझा जाएगा ।

(ग) यदि खंड (क) और (ख) के अधीन ऐसी सूचना या बिल को तामील करना या उसे दिया जाना संभव नहीं है तो उस सूचना या बिल की अन्तर्वस्तुओं को उस स्थान में बांटे जाने वाले समाचार - पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा, जहां संबंधित व्यक्ति वास्तव में या स्वेच्छया निवास करता है या कारबार करता है या अपनी सूचना के लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है और ऐसे प्रकाशन को उस व्यक्ति पर तामील करना या उसे बिल का दिया जाना समझा जाएगा ।

26. निर्वचन - यदि इन नियमों को लागू करने के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन होता है तो उसे केन्द्रीय सरकार को, उसे विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा तथा केन्द्रीय सरकार के विनिश्चय को लागू किया जाएगा ।

अनुसूची- 1

[नियम 4(1) देखें]

राजमार्ग भूमि रजिस्टर

रा. राजमार्ग सं.

.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

कि.मी. सं.

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	जिले का नाम	तहसील/उप-मंडल का नाम	ग्राम/मोहल्ले का नाम	प्लाट सं./खसरा सं.	भूमि का क्षेत्रफल एकड़ (हक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	

टिप्पण : इस रजिस्टर में किलोमीटरवार सूचना रखी जानी है ।

IndiaCode

अनुसूची- 2

(नियम 8 देखें)

राजमार्ग भूमि के अधिग्रहण के लिए अनुज्ञा-पत्र

(राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और वातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन)

.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

1.	उस व्यक्ति का नाम, जिसे अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है	:	
2.	पिता का नाम	:	
3.	स्थायी पता (टेलीफोन नं. सहित)	:	
4.	पत्र व्यवहार के लिए पता (टेलीफोन नं. सहित)	:	
5.	अनुज्ञा-पत्र के अनुसरण में अधिग्रहित किए जाने वाले राजमार्ग का क्षेत्र वर्ग मीटर में	:	
6.	ऐसे क्षेत्र की अवस्थिति (राष्ट्रीय राजमार्ग सं. और किलोमीटर सहित)	:	
7.	प्रयोजन, जिसके लिए अनुज्ञा-पत्र के अधीन अनुज्ञा दी गई	:	
8.	वह अवधि तारीख सहित, जिसके लिए अनुज्ञापत्र के अधीन अनुज्ञा दी गई	:	 से तक
9.	वे शर्तें, जिनके अधीन अनुज्ञापत्र के अधीन अनुज्ञा दी गई	:	
10.	संदत्त किराया		

अनुज्ञा पत्र मंजूर करने वाले राजमार्ग प्रशासन के अधिकारी
के हस्ताक्षर तथा मुद्रा

स्थान :

तारीख :

टिप्पण : नवीकरण, जिसके अंतर्गत वह समय अवधि भी है, जिसके लिए नवीकरण किया जाता है और उसके लिए संदत्त किराये और अतिरिक्त प्रभारों के संबंध में प्रविष्टियां नवीकरण करने की अनुज्ञा देने वाले अधिकारी की मुद्रा सहित, इस अनुज्ञा पत्र के पीछे की जाएंगी और उन्हें पृष्ठांकित किया जाएगा ।

IndiaCode